न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 208 सन 2007

अनवान :–

1. शिवम पुत्र बृजप्रकाश 2 कु. विजय लक्ष्मी उर्फ टिमटिम पुत्री बृजप्रकाश जरिये डिफेक्टो संरक्षक शशिकान्त पुत्र बजरंगलाल जाति ब्रहाम्ण पारीक निवासी खेतडी जिला झुन्झनू हाल मेल नर्स कांवटिया अस्पताल जयपुर ।

वादीगण

बनाम

1. मनीराम पुत्र दुलीचन्द जाति ब्रहाम्ण निवासी देईदास तहसील नोहर।
2. बृजप्रकाश पुत्र मनीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी देईदास तहसील नोहर हाल सब जैल नोहर
3. सब रजिस्ट्रार नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर।
5. अमरावती 6 पुष्पा 7 कमला पुत्रीयान मनीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमागढ।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी
श्री विजय कडवासरा अधिवक्ता प्रतिवादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 22/10/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ,2 के पूर्वजों के समय की रोही मौजा देईदास के साबिका खसरा न0 56 मीन में स्थित थी वादीगण के पडदादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता दुलीचन्द फोत हो चुके है वादग्रस्त भूमि पैमाईश हाल में खसरा न0 144/1 पैमुद हुये है तथा रोही मौजा देईदास के खसरा न0 144/1 की 4.135हक में पैमुद है जो हिन्दु मुश्तरका परिवार के कर्ता होने के कारण वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई थी

वादभूमि 4.135हैक वादीगण की पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार है वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादभूमि में वादी संख्या 1 ,2क ा 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वादीगण की माता को दहेज के लिए तंग व परेशान करते थे तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने वादीगा की माता अनीता की हत्या कर दी जिसका मुकदमा चल रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जमानत पर हे तथा प्रतिवादी संख्या 2 जेल में है

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादीगण की माता की हत्या करने के पश्चात वादीगाण अपने डिफेक्टो संरक्षक के पास रह रहे है वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का हक हिस्सा है जिसकी [illegible] के अधिकारी है।

वाद भूमि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है सयुक्त काश्त करने पर वि[illegible] अपने हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर रोही मोजा चक देईदास के खसरा न0 144/1 की तादादी कुल 4.135हैक भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:07:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सम्पति है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर हक हिस्सा के अनुसार अच्छी में से अच्छी माडी में से माडी के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया

प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादीगण के वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की वादीगण वाद भूमि के किसी श्रेणी के टिनेन्ट नही है मनीराम प्रतिवादी संख्या 1 के दादा गणपतराम वल्द रतीराम की स्वअर्जित खातेदारी व काब्जा काश्त की भूमि साबिका खसरा न0 56 की तादादी 44.07 बीधा रोही मौजा देईदास थी जिसमें से 32.00 बीधा भूमि स्वेच्छा से अपने पोतो मनीराम व रूपराम पि0 दुलीचन्द को दिनांक 29.06.1962 को बहिब जरिये रजिस्टर्ड तमलीकनामा दी गई थी तथा उक्त दान पत्र दर्ज भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम व रूपराम के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा दोनो खातेदार काश्तकार हो गये है उक्त दानपत्र के आधार पर दोनो खातेदार काश्तकार हो गये है उक्त भूमि पैमाईश हाल में खसरा न0 144 की 32. 07 बीधा में परिर्वतन हो चुकी है तथा मनीराम व रूपराम ने बाहमी बटवारा करने पर मनीराम प्रतिवादी संख्या 1 को हाल खसरा न0 144/1 की 4.135हैक्‍ भूमि मिली जो उनके नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है उक्त भूमि में ना तो दुलीचन्द का कोई हक हिस्सा है ना ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 को कोई हक हिस्सा है वादीगण ने वाद उक्त तमलीकनाम खारिज करवाने का पेश किया गया है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है केवल प्रतिवादी संख्या 1 को हैरान परेशान करने के लिये वाद पेश किया गया है प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने के अधिकारी नही है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 अमरावती , पुष्पा , कमला पुत्रीयायन मनीराम ने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम इस आश्य का पेश किया की विवादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/5 हिस्सा में 2/5 हिस्सा बनता है जबकि वादीगण ने समस्त भूमि 1/2 हिससे की घोषणा का वाद किया है जो किसी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी नही है।

प्रतिवादीयान को वाद में पक्षकार नही बनाया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र ओदश 01 नियम 10 सीपीसी के द्वारा पक्षकार बनाया गया है विवादित भूमि हमारे दादा दुलीचन्द के समय की पुरानी खातेदारी भूमि है हम दुलीचन्द के कोपाससनर है तथा दुलीचन्द के भूमि में हम प्रार्थीयान प्रतिवादीयान का संशोधित हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार हम अपने पिता व भाई के बराबर हकदार है तथा वादीगण का अपने पिता प्रतिवादी संख्या 2 के 1/5 हिस्सा में बहिब हर एक 1/5 हिस्सा बनता है जबकि दावा में समस्त भूमि 1/2 हिस्सा की घोषणा चाही गई है जो किसी प्रकार से कानुन सम्मत नही है

वादभूमि खसरा न0 144/1 की 4.135हैक्‍ रोही मोजा देईदास में वादीगण व प्रतिवादीयान संख्या 1 ,2 व उतरदाता प्रतिवादीयान संख्या 5 ता 7 की पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण संख्या 1 ,2 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा में बहिब व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का 3/5 हिस्सा है

अतः प्रतिवादीयान का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर रोही मौजा देईदास के खसरा न0 144/1 की 4.135हैक्‍ भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 तीनो का 1/5 हिस्सा में बहिब व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हि[illegible] प्रतिवादीयान संख्या 5 ता 7 का 3/5 हिस्सा दर्ज करवाने के अधि[illegible] में दर्ज कर खाता व लगान अलग अलग दर्ज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:07:45 IST
Reason: SelfAttested

मनीराम प्रतिवादी संख्या 1 ने काउन्टर क्लेम का जबाब पेश किया की वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण , प्रतिवादी संख्या 1 की मोजुदगी में किसी प्रकार के हक की धोषणा करवाने के अधिकारी नही है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि पैतृक सम्पति नही है वाद भूमि में वादीगण व अन्य का कोई हक हिस्सा नही है जब हक हिस्सा ही नही तो पक्षकार बनाने की आवश्यकता ही नही है तथा संशोधित हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 की मोजुदगी में कोई हक हिस्सा नही है ना ही किसी प्रकार का हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है ना ही वादीगण को वाद व प्रतिवादीगण को काउन्टर क्लेम लाने का अधिकार है ना ही वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है अतः वादीगण का वाद एव प्रतिवादीयान का काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे।

जबाब दावा , काउन्टर क्लेम मय जबाब दावा , जबाब काउन्टर क्लेम उपरान्त उभयपक्षों से साक्ष्य लिये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादीगण अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर अपने हक हिस्सा के अनुसार अच्छी में से अच्छी माडी में से माडी के अनुसार खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रिया है इसलिये पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम 2005 के अनुसार उनका भी हक हिस्सा है जिसकी घोषणा न्यायालय से करवा कर अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा कर खाता व लगान अलग अलग करवाने की अधिकारी है काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में गणपतराम पुत्र रतीराम के नाम से दर्ज थी जिसके द्वारा स्वेच्छा से दिनांक 29.06.1962 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे तमलीकनामा/दानपत्र करवाया गया था उसी के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 की मौजुदगी में कोई हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है वादीगण का वाद एव प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार

वादी भूमि रोही मौजा देईदास के खसरा न0 144/1 की 4.135हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का कथन है कि वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का जन्म से हक हिस्सा है

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में हक हिस्सा होने का कथन किया गया है परन्तु अपने कथनों की ताईद में ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह साबित होता हो की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि उसके पिता के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वर्तमान जमाबन्दी जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा भू0 प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है उससे पुरानी जमाबन्दी पेश की गई है जो गणपत के नाम से दर्ज है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम का कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे साबित हो की वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह उसके पिता के देहानत होने पर विरासत में प्राप्त हुई हो।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जबाब में अंकित तथ्यों के समर्थन में गणपतराम पुत्र रतिराम के द्वारा दिनांक 29.06.1962 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में करवाये गये तमलीकनामा की प्रति पेश की गई है जिसके अनुसार गणपतराम ने अपनी स्वेच्छा से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में करवाई गई थी जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:07:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में हुआ था जो आदिनांक तक बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है।

वादीगण या प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने ऐसा कोई भी साक्ष्य /सबुत /कानुन /परिपत्र पेश नही किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज वाद भूमि जो गणतपराम के तमलीकनामा से प्राप्त हुई थी पैतृक सम्पति की श्रेणी में आती हो जबकि तमलीकनामा से प्राप्त भूमि पैतृक सम्पति की श्रेणी में नही आती है।

गणतपराम के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में करवाये गये तमलीकनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जो पैतृक सम्पति की श्रेणी में नही आती है पूर्वजों के नाम दर्ज भूमि जो विरास्तन से पिढी दर पिढी आती है वही सम्पति पैतृक सम्पति की श्रेणी में आती है ना की किसी अन्य प्रकार से प्राप्त भूमि।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरास्तन से प्राप्त नही हुई है बल्की तमलीकनामा से प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति नही है वादीगण का वाद पैतृक सम्पति पर ही आधारित होने के कारण वादीगण का स्वीकार/साबित नही है।

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:07:45 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. शिवम पुत्र बृजप्रकाश 2 कु. विजय लक्ष्मी उर्फ टिमटिम पुत्री बृजप्रकाश जरिये डिफेक्टो संरक्षक शशिकान्त पुत्र बजरंगलाल जाति ब्रहाम्ण पारीक निवासी खेतडी जिला झुन्झनू हाल मेल नर्स कांवटिया अस्पताल जयपुर ।

वादीगण

बनाम

1 मनीराम पुत्र दुलीचन्द जाति ब्रहाम्ण निवासी देईदास तहसील नोहर।
2. बृजप्रकाश पुत्र मनीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी देईदास तहसील नोहर हाल सब जैल नोहर
3. सब रजिस्ट्रार नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर।
5. अमरावती 6 पुष्पा 7 कमला पुत्रीयान मनीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमागढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 208 सन 2007 निर्णय दिनांक– 22/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एव अधिवक्ता प्रतिवादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबुतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:07:45 IST
Reason: SelfAttested